( नियम 26)

# अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मगना बनाम उदयराम जाट(कीरा)

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111-128 नं० 205 सन 2022

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.12.22 | ~~वाद~~ / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14.2.23 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 14/2/23 | उभय पक्ष उप[illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं [illegible] / पदरिक्त है। अत: पत्रावली दि[illegible] 28.2.23...को पेश हो।<br><br>रीडर<br>उपखण्ड अधिकारी, माण्डल | |
| 28/2/23 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक...14/3/23 को पेश हो। | |
| 14-3-23 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो। | |
| 28.3.23 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नही। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |

राजस्थान –सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर ए एस

मुकदमा संख्या – 205/22 प्रा०पत्र

1– श्री भगना s/o श्री हजारी जाट निवासी- भावलास तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री उदयराम s/o श्री हीरालाल जाट निवासी- भावलास तहसील- माण्डल (कब्जा)
(संबंधित प्रकाररान)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 28.03.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल मे उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 1108 कुल किता 01 रकबा 1.7073 हैक्टयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनाक 28.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे कास्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

[redacted]र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल मे उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न 1108 कुल किता 01 रकबा 1.7073 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 600-/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजुदगी मे मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा